


प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 291 / प्र0फी0नि0स0 / 2017
लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2017

—:आदेश:—

शैक्षिक सत्र 2017-18 से आगामी दो वर्षों 2018-19 एवं 2019-20 अर्थात् (कुल तीन वर्ष) के लिए निर्धारित शुल्क का विवरण

क्रमांक	कालेज कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1	194	एच0आर0 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, गाजियाबाद ।	बी0टेक0 एम0बी0ए0 एम0सी0ए0 एम0टेक0	रु0 85300.00 रु0 85300.00 रु0 85300.00 रु0 85300.00
2	181	साइंस एण्ड टेक्नोलाजी इंटरपेन्योर पार्क (एच0बी0टी0आई0) कानपुर।	एम0बी0ए0	रु0 68240.00
3	116	जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, गाजियाबाद।	एम0बी0ए0	रु0 93200.00
4	802	नित्रा टेक्निकल कैम्पस, गाजियाबाद।	बी0टेक0	रु0 81502.00
5	124	इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एण्ड कारपोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ।	एम0बी0ए0	रु0 98385.00

उपरोक्त संस्थाओं के शुल्क निर्धारण सम्बंधी संस्थावार आदेश अलग से निर्गत किये जाएंगे। उक्त निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में नवप्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र-छात्राओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा। तदनुसार समस्त सम्बंधित अवगत होने का कष्ट करे।


 (एफ0आर0 खान)
 सचिव